प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्ष : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिंहा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक 419 वर्ष 1991

राजा उर्फ़ राजेंद्र कुमार

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)
एवं
जोडा गया दाण्डिक अपील क्रमांक 506 वर्ष 1991

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचार हेतु

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूं

सही /-
मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु सूचिबध्द : 10/08/2010

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्ष : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिंहा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक 419 वर्ष 1991

अपीलार्थी: राजा उर्फ राजेंद्र कुमार पिता भुनेश्वर प्रसाद उम्र 22 वर्ष

ग्राम कोतमा थाना कोतमा जिला शहडोल

बनाम

उत्तरवादी: मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

दाण्डिक अपील क्रमांक 506 वर्ष 1991

अपीलार्थी: समयलाल उम्र लगभग 26 वर्ष पिता महीपत गोंड निवासी

ग्राम बहेरा टोला, थाना.केल्हारी, जिला सरगुजा

बनाम

उत्तरवादी: मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2)दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थिति:

श्रीमती उषा चंद्राकर, दाण्डिक अपील क्रमांक 419/1991 में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री मलय कुमार भादुड़ी, दाण्डिक अपील क्रमांक 506/1991 में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

दोनों अपीलों में राज्य के लिए उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा।

निर्णय

(10.08.2010)

न्यायालय का उपरोक्त निर्णय **सुनील कुमार सिंहा, न्यायमूर्ति** द्वारा उद्घोषित किया गया।

(1) सत्र न्यायाधीश, सरगुजा न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनन्द्रगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 182/89 में दिनांक 27.3.91 को पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीओं ने ये अपीलें दायर की हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थीओं को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत सिध्ददोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

(3) चार आरोपियों धर्मपाल सिंह, राजा उर्फ राजेंद्र कुमार, समयलाल और शिवचरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। शिवचरण को सत्र न्यायालय ने उन्मोचित कर दिया और शेष तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आरोप विरचित किए गए थे। विचारण के बाद सभी तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत सिध्ददोष पाया गया। उन्होंने अपनी अलग-अलग अपीलें दायर कीं। आरोपी राजा उर्फ राजेंद्र कुमार और समयलाल द्वारा दायर दो अपीलों का इस समान निर्णय फैसले से निपटारा किया जा रहा है और आरोपी धर्मपाल सिंह द्वारा दायर तीसरी अपील, जिसे दाण्डिक अपील क्रमांक 707/91 के रूप में पंजीकृत किया गया था, अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु के कारण 23 जुलाई, 2010 को उपशमन कर दिया गया।

(4) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

मृतक कृष्ण कुमार शर्मा वनरक्षक था। उसके रामबाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1, निवासी ग्राम आमदमक) से अवैध संबंध थे। आरोपी धर्मपाल के भी रामबाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) के साथ अवैध संबंध विकसित हो गए थे। रामबाई अपने घर में अपनी बहन आशा (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) और शिवचरण (अभियोजन साक्षी क्रमांक-3, आशा का पति) के साथ रह रही थीं। 22 और 23 अक्टूबर, 1988 के बीच की मध्य रात्रि में मृतक रामबाई के घर गया था। यह बात किसी तरह आरोपी धर्मपाल को पता चल गई। यह आरोप है कि धर्मपाल अन्य सह-आरोपियों (यहां अपीलार्थीओं) के साथ रामबाई के घर गया और मृतक पर डंडे, हाथ एवं मुक्कों से हमला किया। मृतक को आरोपीगण द्वारा रामबाई के घर से घसीटकर बाहर ले जाया गया और उनके खलियान (थ्रेसिंग प्लेस) में उसके साथ फिर मारपीट की गई और फिर उसे पास के रेरा नाला में घसीट कर ले जाया गया, जहां फिर से आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना को रामबाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1), आशा (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) और शिवचरण (अभियोजन साक्षी क्रमांक-3) के द्वारा देखा गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 23.10.88 को लगभग 3.00 बजे अपराह्न, अभियुक्त धर्मपाल ने मर्ग सूचना (प्र.-पी/50) दी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.-पी/49) पंजीकृत की गई। उसने बस इतना कहा कि मृतक कृष्ण कुमार शर्मा का मृत शरीर नाले के पास पड़ा था और उस पर कई चोटें थीं। यह सूचना दर्ज करते हुए, प्रधान आरक्षक राम नगीना सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक-10) दिनांक 23.10.88 की शाम को घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय तक अन्वेषण अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक एस.आर. धृतलहरे (अभियोजन साक्षी क्रमांक-12) को एक संदेश भेज दिया गया था, और वो भी दिनांक 24.10.88 को लगभग सुबह 10.40 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन रिर्पोट तैयार की गई और मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया और उसके बाद धारा 161, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपरोक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तीन चक्षुदर्शी साक्षियों के बयान दिनांक 24.10.88 को लगभग शाम 4.00 बजे दर्ज किये गये।

अभियोजन पक्ष का मामला उपरोक्त तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर आधारित था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्षियो के अभिसाक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्तानुसार सजा सुनाई।

(5) अपीलार्थीओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मलय कुमार भादुड़ी और श्रीमती उषा चंद्राकर ने तर्क दिया कि उपरोक्त साक्षियो का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं था; उन्होंने पुलिस को विलंब से खुलासा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों अपीलार्थी को साक्षी नहीं जानते थे, इसलिए इन अपीलार्थीओं की पहचान के लिए एक परीक्षण पहचान परेड आवश्यक थी। चूँकि ऐसी कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए इन दोनों अपीलार्थीओं की कटघरे में पहचान अत्यधिक संदिग्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इन साक्षियो के संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन के आधार पर, वर्तमान दोनों अपीलार्थीओं की संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत होती है, और सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मपाल के साथ उन्हें दोषी ठहराना विधिक भूल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) इसके विपरित, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(7) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(8) इन साक्षियो ने दावा किया कि उन्होंने 22 और 23 अक्टूबर 1988 के बीच की मध्य रात्रि में घटना देखी थी, लेकिन उन्होंने गांव में किसी अन्य व्यक्ति को यह तथ्य नहीं बताया। दिनांक 23.10.88 को, प्रधान आरक्षक रर्न नगीना सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक-10) शाम को ही गांव में पहुंच चुके थे। उस समय भी उपरोक्त तीनों साक्षियो ने उन्हें यह नहीं बताया कि घटना कैसे घटित हुई। अन्वेषण अधिकारी एस.आर. धृतलहरे (अभियोजन साक्षी क्रमांक-12) भी दिनांक 24.10.88

की सुबह गांव पहुंच गए थे और जांच शुरू कर दी थी, लेकिन उपरोक्त तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों ने पूरे दिन अन्वेषण अधिकारी को घटना का खुलासा नहीं किया और दिनांक 24.10.88 को शाम को लगभग 4.00 बजे उनके बयान धारा 161, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए। उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने लगभग 2 दिन तक गांव में किसी को भी इस घटना के संबंध में क्यों नहीं बताया। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यदि हम रामबाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक -1) के साक्ष्य को देखें, तो उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मृतक उसके घर के अंदर था। रात के लगभग 10-11 बजे, अभियुक्त धर्मपाल वहाँ आया और उसके बाद उसने रामबाई के कमरे में मृतक के साथ मारपीट की और फिर उसे आँगन में घसीट कर ले गया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि आँगन में, मृतक पर धर्मपाल और अपीलार्थी समयलाल द्वारा हमला किया गया और फिर उसे खलियान में ले जाया गया, जहाँ एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा था। उसने खुद को कंबल से ढक रखा था। उसने भी मृतक पर हमला करने में भाग लिया और फिर मृतक को नाले की तरफ ले जाया गया, जहाँ फिर से उपरोक्त तीन व्यक्तियों ने उस पर हमला किया। प्रतिपरीक्षण में, उसने देर से जानकारी का खुलासा करने में हुई देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने स्वीकार किया कि सुबह जब गाँव के कोटवार ने उसे बताया कि किसी ने मृतक की हत्या कर दी है, तो उसने उसे भी जानकारी नहीं बताई, और अंत में, उसने जानकारी सोमवार यानी दिनांक 24.10.88 को शाम के लगभग 4 बजे उसने पुलिस को दी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-19, में उसने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बताया था कि उसे इस बात कि जानकारी नहीं है कि मृतक पर किसने हमला किया। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-20, में उसने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि सोमवार को पुलिस के द्वारा उसे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटवारी के घर में रखा गया था। उसने आगे कहा कि वह आरोपी राजेंद्र को नहीं जानती है। यहाँ तक कि उसे उसका नाम भी नहीं पता और यह भी नहीं पता कि वह किस गाँव का रहने वाला है। उसने आगे कहा कि इस मामले में कोई परीक्षण पहचान परेड संपन्न नहीं कराई गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) आशा (अभि.सा.-2) का अभिसाक्ष्य भी लगभग ऐसा ही है। उसने भी अभि.सा.क्र.-1 की तरह ही अभिसाक्ष्य दिया और केवल अभियुक्त धर्मपाल का नाम लिया। हालाँकि उसने यह भी बताया कि धर्मपाल के साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे, जिनकी उसने न्यायालय में पहचान इन दोनों अपीलार्थीओं के रूप में की। शिवचरण (अभि.सा.-3) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि धर्मपाल रामबाई के घर आया था। उसने मृतक पर हमला किया। धर्मपाल के साथ एक और व्यक्ति था जो आँगन में खड़ा था। जब मृतक को धर्मपाल ने आँगन में घसीटा, तो धर्मपाल के साथ आए व्यक्ति ने भी मृतक पर हमला किया और उसके बाद मृतक को खलियान में ले जाया गया, जहाँ एक और व्यक्ति खड़ा था और उसने भी मृतक पर हमला करने में भाग लिया। उसके द्वारा भी न्यायालय के समक्ष पहली बार दोनों अपीलार्थीओं की पहचान की गई।

(10) यदि हम उपरोक्त तीनों साक्षियो द्वारा देर से जानकारी का खुलासा करने के तथ्य को नजरअंदाज भी कर दें, तो भी हमें केवल आरोपी धर्मपाल के खिलाफ ही उनके सबूत पर्याप्त मिलते हैं। धर्मपाल को वह पहले से जानता थे। वह नियमित रूप से उनके घर आता-जाता था और सभी चक्षुदर्शी साक्षियो ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह 22 और 23 अक्टूबर, 1988 के बीच की रात को रामबाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) के घर गया था और मृतक पर हमला किया था। यद्यपि चक्षुदर्शी साक्षियो के अभिसाक्ष्य में आता है कि अन्य दो आरोपी व्यक्ति जो धरमपाल के साथ आंगन और खलियान में थे, वे हमारे सामने उपस्थित दो अपीलार्थी थे, लेकिन उनकी पहचान से संबंधित साक्ष्य संदिग्ध प्रतीत होते हैं। यह अपीलार्थी साक्षियो के जान-पहचान के नहीं थे। रामबाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उसने धारा 161, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अपने बयान में पुलिस को आरोपियों के नाम नहीं बताए थे। अन्य दो साक्षियो ने भी के अपने बयान में पुलिस को इन अपीलार्थीओ के नाम नहीं बताए थे और उनके द्वारा न्यायालय में अपीलार्थीओ की पहचान की गई थी । हम ध्यान देते हैं कि यह घटना अक्टूबर 1988 की है और इन साक्षियो के साक्ष्य दिनांक 3.7.90 को दर्ज किए गए थे। इसलिए, हमें संदेह है कि ऐसी परिस्थिति में, वे इतने लंबे समय के बाद भी अभियुक्त धर्मपाल के साथ आए व्यक्तियों की पहचान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर पाएंगे, खासकर तब जब यह अंधेरी रात की घटना थी, और बताए अनुसार हमलावरों में से एक ने अपने शरीर को कंबल से ढक रखा था। किसी साक्षी द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान के संबंध में दिया गया अभिसाक्ष्य मूल साक्ष्य होता है और पहचान परेड (टी.आई.पी.) में पहचान का साक्ष्य केवल एक पुष्टिकरण साक्ष्य होता है। यदि कोई साक्षी लंबे समय के बाद पहली बार न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करता है, तो ऐसे अपुष्ट साक्ष्य का सत्यापन मूल्य न्यूनतम हो जाता है, इतना कम कि ऐसे साक्ष्य पर अवलंब करना असुरक्षित हो जाता है। लेकिन यदि कोई साक्षी अभियुक्त को पहले से ऐसी परिस्थितियों में जानता हो जो न्यायालय में उसकी पहचान की पुष्टि करती हैं और यदि कोई अंतर्निहित, असंभावना या असंगति नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त की पहचान के बारे में न्यायालय में दिए गए उसके अभिसाक्ष्य पर किसी अन्य स्वीकार्य लेकिन अपुष्ट साक्ष्य की तरह अवलंब न किया जाए। ***रॉनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अलवारिस, आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1998 एससी 1251*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इसलिए, कानून में यह बात सुस्थापित है कि न्यायालय में अभियुक्त की पहचान, व्यक्ति की पहचान करने वाले व्यक्ति कि ओर से किया गया ठोस सबूत है, और पूर्व के टी.आई. परेड में की गई पहचान इसकी पुष्टि करती है और अन्वेषण के दौरान परीक्षण पहचान परेड (टी.आई.पी.) के अभाव में कटघरे में पहचान के साक्ष्य की स्वीकार्यता कभी प्रभावित नहीं होती है।

(12) वर्तमान मामले में, जहां साक्षी अपीलार्थीओं को नहीं जानते थे और उनके बयान के अनुसार, उन्होंने उन्हें अक्टूबर महीने में लगभग 11-11.30 बजे रात के अंधेरे में देखा था और उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया था कि हमलावरों में से एक ने अपने शरीर को कंबल से ढक लिया था और यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि जिन दो अपीलार्थीओं की उन्होंने कटघरे में पहचान की थी, वे उनके गांव के निवासी नहीं थे, हम इस पर अवलंब करना सुरक्षित नहीं पाते हैं, जहाँ तक दोनों अपीलार्थीओं की पहचान का सवाल है, उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षियो के अभिसाक्ष्य से यह साबित

नहीं होता है। यह भी स्थिति नही है कि, चक्षुदर्शी साक्षियो को इन हमलावरों से बातचीत करने का मौका मिला था या किसी और तरीके से उन्हें उनके चेहरे के हाव-भाव देखने का मौका मिला था जिससे उन्हें न्यायालय में उनकी पहचान करने में मदद मिली हो।

(13) उपर्युक्त कारणों से, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियोजन पक्ष, मृतक कृष्ण कुमार शर्मा की हत्या कारित करने में सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे में दोनों अपीलार्थीओं की मिलीभगत को स्थापित करने में विफल रहा है तथा उनकी दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती है।

(14) परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश अपासत किए जाते हैं। उन्हें उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और जमानतदार उन्मोचित किये जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही
मुख्य न्यायाधिपति

सही
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by – Vidhi Mehta